भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3443
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

बिहार में रोजगार के अवसर

3443. श्री महाबली सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या है;
(ख) अब तक योजना-वार सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या क्या है; और
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में बेरोजगारी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने बिहार सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। बिहार में इन योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति अनुबंध पर दी गई है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनःबहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। बिहार में 1 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार 645 प्रतिष्ठानों द्वारा 11,344 कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में 01.04.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। बिहार में इस योजना की शुरूआत के बाद से इसके अंतर्गत 996 प्रतिष्ठानों द्वारा 1,27,977 कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बूरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, बिहार में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 7.0%, 9.8% एवं 5.1% है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3443 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम

सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पीएमईजीपी के तहत अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	26424	17768	17536	2824 (01.07.2021 को)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (मानव दिवस लाख में)	1234	1418	2283.34	767.39 (13.07.2021 को)
प्रशिक्षण के बाद रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी (डीडीयू-जीकेवाई) (व्यक्तियों की संख्या)	5851	5861	2745	591 (9 जुलाई, 2021 को)
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया नियोजन (व्यक्तियों की संख्या)	1250	1275	103	6 (30.06.2021 को)

स्रोतः संबंधित मंत्रालय/विभाग